Sub. C2.
Contemporary India and Education

मैकाले का शैक्षिक विवरण पत्र —
(MACALAY Educational Minute)

1813 में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में भारतीयों की शिक्षा के सन्दर्भ में कम्पनी को निर्देश दिया कि कम-से कम एक लाख रुपये धनराशि का प्रयोग साहित्य एवं भारतीय विज्ञान पर खर्च हो। पत्र मे नही साहित्य और न ही विज्ञान शब्द की व्याख्या की गयी।

धारा 43 की व्याख्या हेतु गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक ने लार्ड मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाकर उसे प्राच्य-पाश्चात्य विवाद सुलझाने का कार्य सौंपा।

(A) 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या —: मैकाले ने तीनो मुद्दो को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया।

(I) धनराशि के व्यय की व्याख्या :— मैकाले ने स्पष्ट किया कि धनराशि को व्यय करने मे कम्पनी स्वतन्त्र है जिस तरह व्यय करना चाहे कर सकती है।

(II) साहित्य शब्द की व्याख्या :— मैकाले ने स्पष्ट किया कि साहित्य शब्द से तात्पर्य केवल भारतीय साहित्य (संस्कृत, अरबी,) ही नही अपितु पाश्चात्य साहित्य (अंग्रेजी) भी आता है।

(III) भारतीय विज्ञान की व्याख्या :— विद्वानो की सीमा के सम्बन्ध में मैकाले ने कहा कि केवल भारतीय भाषाओं (संस्कृत, अरबी,) के विद्वान ही नही बल्कि अंग्रेजी ज्ञान के विद्वान भी आते हैं।

लार्ड मैकाले का सुझाव

लार्ड मैंकाले ने तीनो शब्दो की व्याख्या के बाद निम्न सुझाव दिए —

(i) प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक

(ii) पाश्चात्य शिक्षा, साहित्य एवं ज्ञान महत्वपूर्ण

(iii) अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक

(iv) उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्था की व्यवस्था

(v) शिक्षा में धार्मिक तटस्थता

Scanned with CamScanner

Sub - C2

Contemporary India and Education

DATE / /
PAGE NO.

(A) मैकाले के विवरण पत्र का मूल्यांकन (Evaluation of Macaulay Minute)

(i) प्राच्य-पाश्चात्य विवाद में तर्कपूर्ण निर्णय -: मैकाले ने पाश्चात्यवादियों का समर्थन बड़ी ही चतुराई और पक्षपातपूर्ण निर्णय के द्वारा किया।

(ii) पाश्चात्य - भाषा, साहित्य, ज्ञान-विज्ञान की वकालत :- मैकाले ने पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की वकालत भारतीयों को परिचित कराने की विशेषता द्वारा की।

(iii) प्रगतिशील शिक्षा की वकालत :- भारत की रूढ़िवादी शिक्षा व्यवस्था से अलग आधुनिक ज्ञान-विज्ञान को श्रेष्ठ बताया।

(B) धारा 43 की पक्षपातपूर्ण व्याख्या -:

(i) प्राच्य साहित्य की आलोचना द्वेषपूर्ण -: भारतीय साहित्य, सिद्धांत (अरबी-फारसी) को निम्न बताकर पाश्चात्य साहित्य पर धन व्यय करना पक्षपात तर्क था जो अपने तर्कों से उसने उचित समझा।

DATE / /
PAGE NO.

(ii) अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना अनुचित :- किसी भी देश की शिक्षा का माध्यम नागरिकों की मातृभाषा होती है। अंग्रेजी को माध्यम बनाकर भारतीयों को शिक्षा से वंचित किया।

(ii) केवल उच्च वर्ग की शिक्षा -: "शिक्षा सबका जन्म सिद्ध अधिकार है" उसे किसी वर्ग तक सीमित रखना मानवीय अधिकारों का हनन है।

(iii) निस्यन्दन सिद्धान्त की धारणा अनुचित :- शिक्षा व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के लिए निम्न वर्ग तक ये छन-छन कर पहुंचेगी अर्थात ऊपर से नीचे। यह तर्क पूर्णतः अनुचित है कि सम्पर्क में आकर व्यक्ति सीखेगा। पढ़ेगा।

(C) मैकाले के विवरण-पत्र का तात्कालिक प्रभाव

(i) शिक्षा नीति की घोषणा -:

(ii) अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत :-

(iii) अंग्रेजी राजकाज की भाषा घोषित :-

Scanned with CamScanner

Sub. C2.
Contemporary India and Education

Date / /
Page No.

स्वतन्त्रता के पश्चात शिक्षा का प्रसार
(Education in Post Independence Period)

स्वतन्त्रता की प्राप्ति से भारतीय शिक्षा ने करवट बदली।

(A) शिक्षा का उत्तरदायित्व —: (Responsibility of Edu.)
स्वतन्त्रता के बाद भी शिक्षा प्रान्तीय सरकारों के अधीन थी लेकिन स्वतन्त्र भारत में 1976 से शिक्षा 'समवर्ती सूची' में हो गयी जिससे राज्य के साथ केन्द्र का भी उत्तरदायित्व हो गया।

(B) भारतीय संविधान और शिक्षा —: (Indian Constitution and Education)
भारतीय संविधान में अनेक धारायें और उपबन्ध हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से सम्बन्धित हैं। जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

(i) धारा 28 — राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी।

(ii) धारा 29 —: (i) भारत के राज्य क्षेत्र या वहाँ के निवासियों को, अपनी भाषा, लिपि, तथा संस्कृति बनाये रखने का अधिकार होगा।

Date / /
Page No.

(राज्य के नीति निर्देशक तत्व)

धारा - 45 —: राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के बच्चों को 'निःशुल्क और अनिवार्य' (Free and Compulsory) शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

धारा - 46 —: राज्य जनता, निर्बल वर्गों, SC/ST के शिक्षा (Educational) तथा अर्थ (Economic) हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा। सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण करेगा।

(C) संविधान की सातवीं अनुसूची धारा (246)
संविधान ने समस्त विषयों को तीन सूची — (A) संघ सूची (B) राज्य सूची (C) समवर्ती सूची में विभक्त किया है। शिक्षा 1976 में संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित है।

Sub - C2
Contemporarary India and Education

स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षा का प्रसार :

(C) समवर्ती सूची :-

(i) अनुच्छेद - 25 - "श्रमिकों का व्यावसायिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण"।

(ii) धारा 343 - "देवनागरी लिपि में हिन्दी संघ की राजभाषा होगी।

(iii) धारा 351 - हिन्दी भाषा की वृद्धि करना संघ का कर्तव्य होगा।

(D) स्वतन्त्र भारत के केन्द्र में शिक्षा :-
1958 तक शिक्षा के केन्द्र में दो भाग थे

(A) शिक्षा मन्त्रालय (Ministry of Education)
(B) वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों का मन्त्रालय (Ministry of Sci. Research and Cultural Affairs)

26 Sep. 1985 को एक नये मन्त्रालय का गठन हुआ - 'मानव संसाधन विकास मन्त्रालय' (MHRD)।

इस मन्त्रालय के पाँच विभाग हैं —

(अ) शिक्षा विभाग (Department of Education)
(ब) संस्कृति विभाग (Department of Culture)
(स) कला विभाग (Department of Art)
(द) डिपार्टमेन्ट आफ यूथ अफेयर्स एवं स्पोर्ट्स
(य) डिपार्टमेन्ट आफ वोमेन एवं चाइल्ड केयर

शिक्षा विभाग को राज्यमंत्री की अध्यक्षता में रखा गया है जिसे विभिन्न ब्यूरो, डिवीजनों सेक्शनों तथा यूनिटों में विभक्त किया गया है।

संघ की शैक्षिक भूमिका

सन् 1976 से शिक्षा समवर्ती सूची में है जिसका आशय केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य सार्थक सहभागिता है।
केन्द्र सरकार के प्रमुख शैक्षिक कार्य इस प्रकार हैं।

(i) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में निम्न संगठनों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार अपने शैक्षिक दायित्वों का निर्वहन करती है।

Sub - C2 - Contemporary India and Education

सार्वभौमिक शिक्षा के मानदण्ड :—
(Universal Education norms)

नवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य के बारे में निम्न लिखित तीन मानदण्ड रखे गये।

(i) सर्वव्यापी पहुंच तथा नामांकन —:
(Universal Access and Enrolment)

जनसंख्या विस्फोट ने समस्त प्रयासों एवं उपलब्धियों को अर्थहीन बना दिया है। NPE 1986 की कार्ययोजना में सभी राज्यो से कहा गया कि 300 आबादी वाले ~~क्षेत्र~~ क्षेत्रो मे एक प्राथमिक विद्यालय खोले जाये।

नामांकन का अभिप्राय 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चो को विद्यालय में प्रवेश दिलाने से है।

सर्वव्यापी पहुंच में सभी बच्चो - लड़कियो, दिव्यांगो, SC, ST के सभी बच्चों को प्रवेश तथा शिक्षा (6 से 8) दिलाना है।

(ii) सर्वव्यापी धारणा (Universal Retention) —:

प्रत्येक नामांकित बच्चे को तब तक रोका जायें विद्यालय में जब तक कि वह विहित आयु और पाठ्यक्रम पूरा न कर ले।

दूसरे शब्दों में, बच्चा प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति तक विद्यालय में बना रहे।

सामान्यतः यह देखा गया है अनेक बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किये बिना ही विद्यालय छोड़ देते है। अतः सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रवेश / नामांकित बच्चों को कक्षा 8 तक विद्यालय में रोके रखना है।

(iii) सर्वव्यापी उपलब्धि :— (Universal Achievement)

(i) अधिगम के न्यूनतम स्तरो (Minimum Levels of Learning) का विस्तार।

(ii) विद्यालयीय संरचना, शिक्षक, शिक्षा अधिगम वस्तु आदि का संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास।

(iii) प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या (National Curriculum) का विकास किया जाये।

इस प्रकार सर्वव्यापी उपलब्धि से तात्पर्य बच्चा अपनी आयु एवं कक्षा के न्यूनतम ज्ञान की जानकारी रखता हो। स्कूल पास होने के उपरान्त भी यह आवश्यक है।

Sub - C2 Contemporary India and Education

11 Friday
पौष सुदी ५-२०७५

सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय –
(MEASURES TO Achieve the Target of Universalization)

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 1992 में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए निम्न पर बल दिया गया–

(i) स्कूल न जाने वाले पर्वतीय, आदिवासी क्षेत्रो जहाँ औपचारिक शिक्षा का कोई प्रावधान न हो अनौपचारिक शिक्षा को स्वीकृत विकल्प समझा जाये।

(ii) स्कूल चलाने वाली पात्र एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता दी जायेगी।

(iii) 'अनौपचारिक शिक्षा' पद्धति के बच्चो को बाद में औपचारिक शिक्षा (Formal Education) से जोड़ने पर बल दिया जाये।

12 Saturday
पौष सुदी ६-२०७५

अन्य प्रयास

(a) अनौपचारिक शिक्षा (Non- Formal Education)– शिक्षा आयोग (1964-66) में अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, कामकाजी बच्चों,

13 Sunday
पौष सुदी ७-२०७५

बालिकाओ तथा बिना स्कूल बस्तियों के निवासियों को शिक्षा प्रदान करने में इस शिक्षा को महत्व दिया है।

अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 6-14 आयु के उन बच्चो को जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक कठिनाइयों के कारण औपचारिक शिक्षा से वंचित है उन्हे समान शिक्षा का प्रावधान करना है।

Monday 14
पौष सुदी ८-२०७५

(b) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (Operation Black board Scheme) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987-88 में शुरू की गयी थी। इस योजना के तीन परस्पर निर्माणक तत्व हैं —

(i) लड़के तथा लड़कियो के लिए अलग शौचालय, एक बरामदे सहित दो कमरे।

(ii) प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो शिक्षक हो जिनमे यथासम्भव एक महिला हो।

(iii) ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट, खिलौने, कार्य अनुभव के लिए उपकरणों सहित आवश्यक पठन सामग्री का प्रबन्ध।

Tuesday 15
पौष सुदी ९-२०७५

(C) न्यूनतम शिक्षण स्तर (MLL) (Minimum Learning Level)

कक्षाओं मे समानता तथा गुणवत्ता को लाने के लिए अध्ययन के न्यूनतम स्तर को कायम करने के लिए (MLL) इस नीति को सुनिश्चित किया गया। न्यूनतम शिक्षण स्तर में मुख्य ध्यान समग्र आधारित अध्यापन तथा शिक्षण पर दिया गया है।

Sub:- C2-
Contemporary India and Education

हाशिए पर आये लोग (अनुसूचित जाति/जनजाति) की शिक्षा- (Universal Education in Marginalization People.)

संविधान के अनु० 341 - 342 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जातियां अनुसूचित तथा जनजाति मानी जाती है।

(A) अनुसूचित जातियों की शिक्षा (Education of the Scheduled Caste)

ये निम्न प्रकार है:-

(i) अनु० जाति तथा उच्च व्यवसाय में लगे बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना कक्षा पहली से)

(ii) SC के बच्चो को, निर्धन परिवारों को प्रोत्साहित करें कि 6-14 आयु के बच्चों को विद्यालय भेजें

(iii) शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति के शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दे।

(iv) अनु० जाति के छात्रों के लिए जिला केन्द्रो पर छात्रावास की सुविधा करना बढ़ाना।

(v) अनु० जातियों का शिक्षा प्रक्रिया मे समावेश बढ़ाने हेतु मैत्री तरीके अपनाना।

अनुसूचित जनजातियों;

(B) ST/अनु० जातियो के उत्थान हेतु संवैधानिक प्रयास (Constitutional Education Provisions in SC/ST)

भारतीय संविधान द्वारा सामाजिक समानता की व्यवस्था निम्न अनुच्छेदो द्वारा की गयी है।

(i) अनु० 15-(1)-: राज्य धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नही करेगा।

(ii) अनु० 15 (4)-: अनु० जातियो की शैक्षिक प्रगति के लिए विशेष प्रावधान बनाये जायेगे।

(iii) अनु० 17-: अस्पृश्यता (Untuchable) का अन्त

(iv) अनु० 25 (2)-: राज्य द्वारा संचित/घोषित किसी शिक्षा संस्थान में किसी नागरिक को जाति, धर्म, वंश के आधार पर शिक्षा से वंचित नही किया जायेगा।

(v) अनु० 243 (D) -: के अनुसार स्थानो का आरक्षण निम्न बिन्दुओ पर होगा।

(vi) अनु० - 338 में: SC/ST को राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकार की व्यवस्था।

Scanned with CamScanner

Sub - C2
Contemporary India and Education

अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा
(Education of the Scheduled Tribes)

निश्चय ही आदिवासियों की अपनी सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता होती है। पाठ्यक्रम निर्माण में तथा शिक्षण - सामग्री तैयार करने में प्रारम्भ में आदिवासी भाषा का उपयोग किया जाये।

अनुसूचित जनजाति (—:

गोल का एक विस्तृत स्वरूप जनजाति है। जनजाति (Tribes) एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनैतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है।

सामान्यतः ये अन्तर्विवाह के नियमों का पालन करते हैं।

जनजातीय कल्याण योजनाएं — (Tribal Welfare Schemes)

(i) पंचवर्षीय योजनाएं - (Five Years Plan) —:
विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इनके कल्याण के विशिष्ट कोष किए है। 6वीं योजना में शिक्षा जैसी आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता देकर 5,5,35 रु० करोड़ खर्च किए गये।

(ii) योजना कार्यक्रम (Plan Programmes) -:
(i) प्रशिक्षण व पथ प्रदर्शन केन्द्र
(ii) छात्रवृत्तियाँ (iii) छात्रावास

Scanned with CamScanner

Education

अनुसूचित जनजातियों,

(B) ST/अनु० जातियों के उत्थान हेतु संवैधानिक प्रयास (Constitutional Education Provisions in SC/ST)

भारतीय संविधान द्वारा सामाजिक समानता की व्यवस्था निम्न अनुच्छेदों द्वारा की गयी है।

(i) अनु० 15 – (1) –: राज्य धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नही करेगा।

(ii) अनु० 15 (4) –: अनु० जातियो की शैक्षिक प्रगति के लिए विशेष प्रावधान बनाये जायेगें।

(iii) अनु० 17 –: अस्पृश्यता (Untuchable) का अन्त

(iv) अनु० 25 (2) –: राज्य द्वारा संचित / घोषित किसी शिक्षा संस्थान मे किसी नागरिक को जाति, धर्म, वंश के आधार पर शिक्षा से वंचित नही किया जायेगा।

(v) अनु० 243 (D) –: के अनुसार स्थानो का आरक्षण निम्न बिन्दुओं पर होगा –

(vi) अनु० – 338 में SC/ST को राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकार की व्यवस्था।

Sub. C2.
Contemporary India and Education

शैक्षिक अवसरों की समानता
(Equality of Educational Opportunity)

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 लिखता है कि " शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करना है एवं पिछड़े अथवा अपर्याप्त सुविधा प्राप्त वर्ग या व्यक्तियों को अपने विकास के लिए शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है"।

(A) शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ:-

शैक्षिक अवसरों की समानता से तात्पर्य अवसरों की एकरूपता से नहीं है। यहाँ शैक्षिक अवसरों की समानता से तात्पर्य जाति, धर्म, लिंग, तथा क्षेत्र के आधार पर पक्षपात न करते हैं सबके लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने से है।

मूल अर्थ में शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ उन व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त शैक्षिक साधन जुटाना जो किन्ही कारणों से पिछड़े हुए हैं जिससे वे समान प्रगति कर सकें।

(B) शैक्षिक अवसरों की समानता का महत्व
(Importancy of Equality of Educational opportunity)

विकासशील भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता का निम्न महत्व है।

(I) समाज के दलित व पिछड़े वर्ग / व्यक्तियों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे।

(II) शैक्षिक अवसरों की समानता मानवीय दृष्टिकोण से भी आवश्यक है।

(III) समाज के आधुनिकरण के लिए भी शैक्षिक अवसरों की समानता अनिवार्य है।

(IV) सामाजिक न्याय के लिए भी सबको एक समान अवसर प्रदान करना उचित है।

शैक्षिक अवसरों की समानता पहले उन व्यक्तियों की ओर अग्रसारित किया जाये जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हों।

(i) स्त्री वर्ग (ii) SC, ST, OBC
(iii) दिव्यांग व्यक्ति (iv) निर्धन या विकट सुदूर क्षे